65-95]30]|10|18

सख्या: 2022 /आठ–1–18–106विविध/2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **आवास आयुक्त,** उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2– **समस्त उपाध्यक्ष,** विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3– **समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी,** औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4– **अध्यक्ष,** समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5– **नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,** समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0 प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ दिनांक 26 अक्टूबर, 2018**

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास योजना (वर्ष 2018–2021) के प्रस्तर–5.5 एवं 6.1 को स्पष्ट किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1132/आठ–1–18–106विविध /2018 दिनांक 12 जुलाई, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018–2021) निर्गत की गयी है। उक्त नीति के प्रस्तर–5.5 एवं 6.1 को कतिपय अभिकरणों द्वारा स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अभिकरणों द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में नीति के प्रस्तर–5.5 एवं 6.1 में किये गये प्राविधान को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:–

<u>प्रस्तर–5.5</u>

निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या–198/08/29/एच.एफ.ए.–ए.एच.पी/2017–18 दिनांक 23 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रदेश के 6,62,459 नग आवेदकों की वैलीडेटेड निकायवार सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आवास बन्धु कार्यालय के पत्र संख्या–2037/आ.ब.–1/निदेशक/2018 दिनांक 27 अप्रैल, 2018 द्वारा समस्त अभिकरणों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है।

निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा उपरोक्तानुसार वैलीडेटेड लाभार्थियों की संख्या के सापेक्ष अभिकरण एवं निजी विकासकर्ताओं की परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित/निर्मित किये जा रहे भवनों की संख्या कम होने की दशा में निजी

विकासकर्ताओं की परियोजनाओं को अंतिम रूप से प्रस्तर–7.5 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा। तत्पश्चात निजी विकासकर्ता/अभिकरण द्वारा योजना का रेरा में पंजीकरण कराकर ऑन लाइन पंजीकरण हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। विज्ञापन के पश्चात आवेदकों की सूची राज्य नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) को अग्रसारित कर सत्यापित करायी जायेगी। सत्यापित सूची के आधार पर अभिकरण द्वारा भवनों की संख्या व स्थल के अनुसार भवनों का आवंटन किया जायेगा।

प्रस्तर–6.1

वाह्य विकास के आवश्यक कार्य, अभिकरण की योजना की सीमा से अधिकतम 50 मीटर दूरी तक सम्बन्धित शासकीय अभिकरण द्वारा कराये जायेगें। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि योजना की सीमा का तात्पर्य शासकीय विद्यमान ट्रंक अवस्थापना सुविधाओं से है। प्रस्तावित विकासकर्ता की योजना (भूमि) की दूरी 50 मीटर से अधिक होने की दशा में वाह्य विकास के आवश्यक कार्य सम्बन्धित निजी विकासकर्ता द्वारा अपने संसाधनों से कराये जाने होगें।

कृपया उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
6– निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
7– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
8– निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि इसे समस्त संबंधितों को अपने स्तर से फैक्स/ईमेल के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें।
9– समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

E:/ E:/PMAY//G.O.17